

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -तृतीय, राज्य कर, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -तृतीय, राज्य कर, रुड़की के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री आनंद कुमार पाण्डेय ले.प., श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.11.2020 से 08.12.2020 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ), श्री गोविंद सिंह एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.11.2019 से 07.12.2019 तक श्री राज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - राज्य का राजस्व संग्रह हेतु प्रयास भगवानपुर, सलेमपुर, रायपुर सिसौना, लाकेश्वरी आदि (क.नि. आदि का कार्य)

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	13283.01
2018-19	19922.06
2019-20	25635.74

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्

है:

(₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - तृतीय, राज्य कर, रुड़की को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - तृतीय, राज्य कर, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर - 1 : कर का न्यूनारोपण ` 102.54 लाख।

प्रस्तर - 2 : मिथ्या घोषणा करने वाले व्यापारी से अपेक्षित धनराशि ` 3.50 लाख एवं अर्थदण्ड ` 5.25 लाख की वसूली न किए जाने से राजस्व की क्षति ` 8.75 (3.5 + 5.25) लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर - 01 : उपकर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.52 लाख।

प्रस्तर - 02 : कर का अनारोपण ` 10.71 लाख।

प्रस्तर - 03 : कर का न्यूनरोपण ` 3.12 लाख।

प्रस्तर 04 - कर के न्यूनरोपण के फलस्वरूप ₹ 3.32 की राजस्व क्षति।

प्रस्तर - 05 : आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 7.14 लाख।

प्रस्तर - 06 : आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 5.34 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 'अ'

प्रस्तर - 1 : कर का न्यूनारोपण ` 102.54 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - 3, राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि व्यापारी **सर्वश्री विजय रबर इंडस्ट्रीज़, टिन - 05009658606, रुड़की** की वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावली में रिट्रीटिंग रबड़ की धारा 25 (7)के अंतर्गत ₹4,75,010/- तथा धारा 9(2) के अंतर्गत ₹ 12,01,58,487/- अर्थात कुल ` 12,06,33,497/- की बिक्री पर 5% की दर से ` 60,31,675/- (23,751 + 60,07,924) की कर देयता निर्धारित की गई थी जबकि रिट्रीटिंग रबड़ के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची में शामिल न होने के कारण, इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

अतः धारा 25 (7)के अंतर्गत ₹4,75,010/- तथा धारा 9(2) के अंतर्गत ₹ 12,01,58,487/- अर्थात कुल ` 12,06,33,497/- की रिट्रीटिंग रबड़ की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से ` 1,02,53,847/- का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यालय, आयुक्त कर के पत्रांक 2619/विधि/2006-07/आयु0क0उत्तरा0दे0दून/वाणि0कर/पत्रांक 29 पार्ट II/दे0दून दिनांक 28.08.2006 द्वारा क्रमांक 4 पर अनुसूची II की प्रविष्टि संख्या 96 में रबड़ शामिल है। प्रोक्योर्ड ट्रेड रबड़ जिसका उपयोग प्रयोग किये गए टायर तथा ट्यूब रेट्रेडिंग में किया गया है, भी रबड़ है। अतः, इस वस्तु पर प्रविष्टि संख्या 96 के अनुसार ही 5% की दर से कर देयता मानना उचित है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय, आयुक्त कर के उपरोक्त पत्रांक द्वारा प्रोक्योर्ड ट्रेड रबड़ के संबंध में 4% (वर्तमान में 5%) की कर देयता निर्धारित की गई है जबकि प्रश्नगत लेखा परीक्षा आपत्ति रिट्रीटिंग रबड़ के संबंध में है। इस संबंध में कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखंड द्वारा पत्रांक 2163/धारा-57/आयु0क0उत्तरा0दे0दून0/2008-09 दिनांक 19 सितम्बर

2008 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रेड रबड़ पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति अर्थात् प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर 13.5% की दर से करयोग्य मानी जाएगी।

अतः, कर के न्यूनारोपण से ` 1,02,53,847 की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'अ'

प्रस्तर - 2 : मिथ्या घोषणा करने वाले व्यापारी से अपेक्षित धनराशि ` 3.50 लाख एवं अर्थदण्ड ` 5.25 लाख की वसूली न किए जाने से राजस्व की क्षति ` 8.75 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(7)(ख) के अनुसार यदि किसी व्यापारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे माल के packaging में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे माल को राज्य में या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, इसकी बाबत मान्यता प्रमाणपत्र दिये जाने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि आवेदक विलंब फीस जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए सभी अपेक्षाओं और शर्तों को जो विहित की जाय, पूरा करता हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे माल के संबंध में ब्यौहारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाय, मान्यता प्रमाण पत्र देगा।

पुनः, अधिनियम की धारा 4 (7) (घ) के अनुसार, यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खंड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किए बिना माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोजन उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाणपत्र किया गया हो, भिन्न प्रयोजन किए लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, तो ऐसा ब्यौहारी दंड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम की किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अंतर के डेढ़ गुने से कम न होगी किन्तु ऐसे अंतर की धनराशि के दुगुने से अधिक न होगी।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार, "जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किए गए क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो

वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी न किया गया होता”।

स्पष्टीकरण: यदि प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी करने वाला व्यक्ति उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किए माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए करेगा जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करे, तो प्रमाणपत्र या घोषणा पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 3, राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी सर्वश्री पंचवटी प्रयोगशाला, रुड़की, टिन: 05005798394, की कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में प्रांत के अंदर से रियायती दर पर फॉर्म 11 के विरुद्ध ` 6,36,86,798/- की raw material एवं packing material की खरीद की गई थी एवं उससे बने माल का स्टॉक ट्रांसफर कर दिया गया था। तथापि, फॉर्म 11 के द्वारा 3% की दर से रियायती दर पर कच्चे माल की खरीद करके उससे बने माल का कर मुक्त स्टॉक ट्रांसफर करना धारा 4 (7) (ख) एवं 4 (7) (घ) के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम की धारा 63 के स्पष्टीकरण के अनुसार मिथ्या घोषणा की श्रेणी में आता है। अतः, ` 6,36,86,798/- के माल के रियायती क्रय पर, धारा 63 के अनुसार अंतरीय दर से कर ` 3,50,024/- एवं 4 (7) (घ) के अनुसार ` 5,25,034/- (अंतरीय दर से देय कर की धनराशि ` 3,50,024/- का डेढ़ गुना) अर्थदण्ड अर्थात् कुल ` 8,75,058/- की धनराशि व्यापारी द्वारा देय है (विवरण संलग्न - 1)।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि लगाई गई आपत्ति 4(7)(d) प्रश्नगत प्रकरण में लागू नहीं होती क्योंकि उक्त प्राप्ति प्रपत्र 11 के विरुद्ध खरीदे गए माल का मान्यता प्रमाण पत्र में दिये गए प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर लगती है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में उक्त खरीद का उपयोग मान्यता प्रमाण पत्र में दिये गए प्रयोजन पर ही किया जा रहा है। अतः, इस बिन्दु पर आपत्ति निक्षेप योग्य है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 4 (7) (घ) के अनुसार, यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खंड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोजन उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाणपत्र किया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो तो उस व्यापारी पर इस धारा के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय है। पुनः, अधिनियम की धारा 4(7)(ख) के अनुसार यदि किसी व्यापारी को

उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे माल के packaging में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे माल को राज्य में या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी के आवेदन पर मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तथापि, वर्तमान प्रकरण में व्यापारी द्वारा फॉर्म 11 के विरुद्ध रियायती दर पर खरीदे गए माल का प्रयोग विनिर्माण एवं ऐसे माल की पैकिंग में प्रयोग तो किया गया है परंतु उस माल को राज्य में या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बिक्रय न करके कर मुक्त रूप में स्टॉक ट्रांसफर किया गया है जो स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 4(7)(ख) के अंतर्गत जारी किए गए मान्यता प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन है एवं व्यापारी द्वारा इस हेतु जारी किया गया फॉर्म-11 (घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र) गलत है। अतः, इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 4(7)(घ) आकर्षित होती है एवं धारा 63 के अंतर्गत कार्यवाही भी अपरिहार्य है।

अतः, मिथ्या घोषणा करने वाले व्यापारी से धारा 63 के अनुसार अंतरीय दर से धनराशि ` 3,50,024/- एवं धारा 4 (7) (घ) के अनुसार न्यूनतम अर्थदण्ड ` 5,25,034/- (अंतरीय दर से देय धनराशि ` 3,50,024/- का डेढ़ गुना) वसूली न किए जाने से कुल ` 875058/- (3,50,024 + 5,25,034) की राजस्व की क्षति का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। (विवरण संलग्न - 1)।

संलग्नक - 1

	सर्वश्री पंचवटी प्रयोगशाला, टिन: 05005798394, रुड़की	(₹ में)
1	आरंभिक रहतिया	77690167.00 (28989109+33584539+15116519)
2	फॉर्म 11 के विरुद्ध रिययती दर पर कुल खरीद	63686798.00 (57938602+5748196)
3	प्रांत बाहर से अर्थात आयातित खरीद	199099937.00(99865710+94513518+1132559+1979299+1608851)
4	सामान्य दर से प्रांतीय खरीद	28909403.00(28141570+346260+15900+405673)
5	योग (कुल खरीद + आरंभिक रहतिया)	369386305.00
6	अंतिम रहतिया	137649825.00(48773743+72095190+16780892)
7	माल के विनिर्माण में प्रयुक्त माल का मूल्य (5-6)	231736479
8	फॉर्म 11 के विरुद्ध क्रय किए गए माल की विनिर्माण में प्रयुक्त किए गए कुल माल के सापेक्ष प्रतिशतता	27.48

9	विनिर्माण में प्रयुक्त रिययती माल का मूल्य	17501132(27.48% of ₹ 63686798)
10	धारा 63 के अंतर्गत न्यूनतम अंतरीय कर @2%	350023.50(2% of 17501132)
11	धारा 4(7)(d) के अंतर्गत न्यूनतम अर्थदण्ड (अंतरीय दर से देय कर की धनराशि का डेढ़ गुना)	525034/-
12	कुल योग	875058(350024+525034)

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 01 : उपकर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.52 लाख।

उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति जो अनूसूची-I, अनूसूची-II या अनूसूची-III में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय करता हो और जो उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत हो अथवा पंजीकरण हेतु दायी हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा की विहित किया जाय, उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। जहां कोई विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता उपकर की वसूली करने में असफल रहता है या इस धारा के अंतर्गत ऐसे उपकर को जमा करने में असफल रहता है तो वह धारा 3(3)(ख) के तहत ऐसे उपकर को ब्याज तथा उपकर के दुगुने से अनधिक अर्थदण्ड के साथ जमा करने के लिए दायी होगा।

पुनः, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 194/2016/17(120)/XXVII(8)/2014 दिनांक 02 मार्च 2016 के अनुसार अनुसूची -III के क्रम सं 1 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड), पिज्जा आउटलेट्स या फ्राइड चिकन आउटलेट्स द्वारा की गई बिक्री, प्री पैकड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और बेवरेजेज पर विनिर्माता के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किए जाने के उपरांत राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर माल के मूल्य का 2% उपकर उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 3, राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी सर्वश्री पंचवटी न्यूट्रीयंट्स, रुड़की टिन: 05009518247, रुड़की, की कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी द्वारा वर्ष 2016-17 में दिनांक 03.03.2016 से 31.03.2016 की अवधि में ` 41,92,110/- (39,19,500 केंद्रीय + 2,72,610 प्रांतीय) की स्वनिर्मित फ्रूट पल्प/जूस की बिक्री की गई थी। उक्त बिक्री पर उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार 2% की दर से ` 83,842/- का उपकर देय था परंतु उक्त बिक्री पर कोई भी उपकर आरोपित नहीं किया गया था। इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। देय उपकर के अतिरिक्त उपकर का दोगुना अर्थात् ` 1,67,684/- अर्थदण्ड भी देय है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संप्रेक्षा द्वारा लगाई गई आपत्ति के संबंध में कितनी बिक्री आपत्तिगत वस्तुओं की गई है, का निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः, उपकर एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से ` 2,51,526/- (83,842 + 1,67,684) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 02 : कर का अनारोपण ` 10.71 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 3, राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी सर्वश्री **एप्रो ग्लोबल लिमिटेड, रुड़की, टिन: 05012565308** की कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी द्वारा प्रांत बाहर से ` **64,75,492/-** की प्लांट एवं मशीनरी एवं प्रांत अंदर से ` **14,55,400/-** के कैपिटल गुड्स की खरीद की गई थी। तथापि, उक्त खरीद को व्यापार खाते में प्रदर्शित नहीं किया गया था। पत्रावली की जांच में यह भी पाया गया कि व्यापारी की रुड़की स्थित इकाई की संगत वर्ष 2015-16 की बैलेन्स शीट उपलब्ध नहीं थी जिससे यह जांच किया जा सके कि उक्त ` **79,30,892/- (64,75,492 + 14,55,400)** की प्लांट एवं मशीनरी/कैपिटल गुड्स की खरीद को व्यापारी की फिक्स्ड अससेट्स में वृद्धि के रूप में दर्शाया गया है अथवा नहीं। अतः, ` **79,30,892/-** की उक्त खरीद पर बिक्री के अनुक्रम में 13.5% की दर से ` **10,70,670/-** का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि व्यापारी द्वारा consolidated balance sheet दाखिल की गई है जिसके अवलोकन पर रुड़की इकाई हेतु कितनी प्लांट एवं मशीनरी का फिक्स्ड अससेट्स के रूप में इंड्राज किया गया है, के संबंध में संप्रेक्षा दल को जांच करने के पश्चात अवगत करा दिया जाएगा।

अतः, कर के अनारोपण के कारण ` **10,70,670/-** की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 03 : कर का न्यूनारोपण ` 3.12 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है। पुनः, अधिनियम की धारा 58 की उपधारा 1(vi) के अनुसार यदि किसी ब्यौहारी ने अपने आवर्त की विशिष्टियां छिपाई है अथवा जानबूझ कर ऐसे आवर्त की त्रुटिपूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत की है, तो अर्थदण्ड के रूप में कर की उस धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत, किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक, जो परवर्जित हो जाती, आरोपणीय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 3, राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी सर्वश्री मनोज रबर इंडस्ट्रीज़, रुड़की, की वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावली में **Precured Tread Rubber/cushion gum की ` 6,17,54,905/- की बिक्री पर 5% की दर से ` 30,87,746/- (30,52,060 + 35,686) की कर देयता निर्धारित की गई है जबकि **Precured Tread Rubber** के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची में शामिल न होने के कारण, इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था।**

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यालय, आयुक्त कर के पत्रांक 2619/विधि/2006-07/आयु0क0उत्तरा0/दे0दून/वाणि0कर/पत्रांक 29 पार्ट II/दे0दून दिनांक 28.08.2006 द्वारा क्रमांक 4 पर अनुसूची II की प्रविष्टि संख्या 96 में रबड़ शामिल है। प्रोक्योर्ड ट्रेड रबड़ जिसका उपयोग प्रयोग किये गए टायर तथा ट्यूब रेट्रेडिंग में किया गया है, भी रबड़ है। अतः, इस वस्तु पर प्रविष्टि संख्या 96 के अनुसार ही 4% (2016-17 में 5%) की दर से कर देयता मानना उचित है।

इकाई के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रोक्योर्ड ट्रेड रबड़ की बिक्री पर 5% की दर से कर आरोपित किया जाना उचित है। तथापि, उक्त व्यापारी की पत्रावली के अवलोकन में यह भी पाया गया था कि संगत वर्ष 2016-17 में व्यापारी द्वारा की गई ` 5,54,31,998/- की कुल खरीद में ` 32,84,400/- की खरीद **cushion gum** की थी जो किसी भी अनुसूची में शामिल न होने के कारण बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 13.5% की दर से कर योग्य थी। व्यापारी द्वारा अंतिम

रहतिया में ₹1,78,361/- का **pre cured tread rubber** दर्शाया गया था, परंतु 13.5% की दर से कर योग्य कोई भी बिक्री घोषित नहीं की गई थी। अतः उक्त ` **32,84,400/-** की **cushion gum** की खरीद पर बिक्री के अनुक्रम में अंतरीय दर 8.5% (13.5% - 5%) से न्यूनतम ` **3,12,018/-** का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

अतः, कर के न्यूनारोपण के कारण ` **3,12,018/-** की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'**प्रस्तर 04 - कर के न्यूनारोपण के फलस्वरूप ₹ 3.32 की राजस्व क्षति।**

उत्तराखण्ड राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 98/2015/181(120)/XXXVII(8)/08 दिनांक 20 जनवरी 2015 के अनुसार राज्य में अवस्थित निर्माण इकाइयों द्वारा केवल निर्माण किए गए वस्तुओं की फार्म सी के विरुद्ध बिक्री पर ही 1% की दर से कर देयता होगी।

कार्यालय उपायुक्त तृतीय राज्य कर रुड़की के अभिलेखों के नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सर्वश्री याका फार्मास्टिकल्स रुड़की(टिन 05004206042कर निर्धारण वर्ष 2015-16) के कर निर्धारण आदेशानुसार व्यापार स्वनिर्मित दवाइयों के निर्माण एवं बिक्री का था। संगत वर्ष में कुल खरीद ₹ 161427857.00/- (₹ 10,10,82,958+ ₹ 6,03,44,899) एवं बिक्री ₹ 205786129.00 घोषित है। उक्त बिक्री में 1% की दर से फार्म सी के विरुद्ध ₹ 193643930.00 की बिक्री घोषित है। पत्रावली पर प्रस्तुत फार्म सी की जांच में पाया गया कि ₹ 7978224.00 की बिक्री(संलग्नक के क्रम संख्या 1 से 5 तक उल्लिखित प्रविष्टि), जो फार्म सी के विरुद्ध घोषित है, पर 1% के दर से कर आरोपित किया गया था। जबकि उक्त फार्म सी आच्छादित वस्तुओं का निर्माण याका फार्मास्टिकल्स रुड़की द्वारा नहीं किया जाता है। अतः फार्म सी के विरुद्ध उक्त बिक्री ₹ 7978224.00 पर अंतरीय दर 1% (2-1) से कर ₹ 79782.24 (7978224*1%) एवं नियमानुसार ब्याज आरोपणीय है। पुनः संलग्नक के क्रम संख्या 6और7 पर उल्लिखित फार्म सी पर क्रमशः क्रय की गयी वस्तु का नाम एवं टिन संख्या का उल्लेख नहीं था। अतः उक्त फार्मों पर रियायती दर से करारोपण अनियमित था इसलिए इन फार्मों से आच्छादित समव्यवहारों पर पूर्ण दर से कर आरोपणीय था। फलस्वरूप कर ₹ 251823(अंतरीय कर दर 4% (5-1) से कर= 6295573*4%)एवं नियमानुसार ब्याज आरोपणीय है।

विभागीय उत्तर में उल्लेख किया गया की फार्मों की जांच हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Yacca Pharmaceuticals, Roorkee.

Sl No.	Issuing dealer/TIN	Form C No.	Invoice no.	Invoice date	amount	commodity
1	Hira Drug House, Banglore/2977013563 1	KA-C2 12125658			118276	Surgical Items and drugs
		KA-C2 12125660	201516691	03.11.2015	87264	
			201516706	05.11.2015	34421	
		KA-C2 12125661	201515823	16.12.2015	39168	
2	Medilogy Biotech Ambala/06281047110	HR06WC 4921260	84	30.04.2015	55272	Animal feed medicine
		HR06WC 4921265	636	17.10.2015	53328	
3	Sara Healthcare, NCT of Delhi/07460334287	12151631761116	521	14.09.2015	1368818	Medical Equipment/ Instrument
		12151656341116	588	01.10.2015	1824768	
			616	12.10.2015	151108	
			646	20.10.2015	1742089	
4	Shree Lifecare Pvt. Ltd. Patna/10105089151	100104666039151 0	2015-16/ 030	13.04.2015	519688	Medical Equipment Devices and Implants
		100107666043151 0	325	13.07.2015	464685	
		100110666095151 0	2015- 16/642	17.10.2015	775824	
			2015- 16/720	09.11.2015		
			2015- 16/773	28.11.2015		
		100101666045161 0	2015- 16/1032	13.02.2016	336944	
			2015- 16/984	30.01.2016	205032	

5	Tarun Pharmaceutical Mumbai/ 27390100274C	27071610759845	2015- 16/538	17.09.2015	99617	Medicines and Surgical Items
		27061610295535	2015- 16/1070	23.02.2016	101922	
6	Kamla Entpreises 57 Rail Nagar Jaipur Rajasthan/ 08481761372	002080262	137	18.05.2015	403173	<i>NO COMMODITY MENTIONED</i>
			60	24.04.2015	220920	
			239	19.06.2015	266659	
		002080271	473	02.09.2015	337280	
			506	11.09.2015	141417	
		002080274	809	12.12.2015	218822	
			678	31.10.2015	454571	
			611	09.10.2015	52116	
			609	09/10.2015	89978	
			808	12.12.2015	493285	
		002080288	947	21.01.2016	450986	
			895	04.01.2016	456443	
			1169	26.03.2016	173601	
		7	M.D.Remedies/ <i>NO TIN</i>	0523630	023	
066	27.04.2015				240281	
135	15.05.2015				392504	
229	16.06.2015				76457	
0014039	375			27.07.2015	118438	
	472			31.08.2015	444417	
0014040	614			10.10.2016	7014	
	663			28.10.2015	420390	

			760	23.11.2015	271785	
		0014043	2015- 16/0882	01.01.2016	108607	
			2015- 16/1008	09.02.2016	164282	
			2015- 16/1037	15.02.2016	28060	
			2015- 16/1091	02.03.2016	105944	
			2015- 16/1172	28.03.2016	158907	

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 05 : आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 7.14 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। पुनः, यदि किसी व्यापारी ने आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है, तो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत दस हजार रुपये या अंतर्गस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय है।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 3, राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान व्यापारी सर्वश्री पंचवटी प्रयोगशाला, रुड़की, टिन: 05005798394, की कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में स्वनिर्मित आयुर्वेदिक टैबलेट एवं डाइजेस्टीव प्रॉडक्ट की कुल रबिक्री ` 38,39,92,02/- की घोषित की गई थी एवं उक्त बिक्री पर नियमानुसार कर आरोपित किया गया था। तथापि, व्यापारी द्वारा कर निर्धारण पत्रावली में संलग्न की गई Statement of Profit and Loss में संगत वर्ष में कुल ` ₹39,11,29,891/- की बिक्री (Revenue from operations) घोषित की गई थी।

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यदि कम प्रदर्शित बिक्री ₹ ` 71,37,849/- (₹39,11,29,891 - 38,39,92,02) पर लाभांश न भी जोड़ा जाय तब भी उक्त कम प्रदर्शित बिक्री ₹ 71,37,849/- पर बिक्री के अनुक्रम में 5% की दर से ₹ ` 3,56,892/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 3,56,892/- का अर्थदण्ड भी देय है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि व्यापारी के केंद्रीय बिक्री ` 184380878/- की थी जिसमें ` 5403714/- के क्रेडिट नोट जारी किए गए हैं जिसका लाभ देने के पश्चात यह बिक्री ` 178977164/- रह गई थी। इसी प्रकार शेष

amount ` 1734135/- व्यापारी के खर्चे हैं जो गोदाम किराया कमीशन आदि से संबन्धित है। अतः, इस बिन्दु पर आपाति निक्षेप योग्य है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ` 17,34,135/- के विभिन्न व्यापार खर्चों को बिक्री के **turnover (revenue from operations)** में शामिल किया जाना तर्कसंगत नहीं है। व्यापार खर्च तो सकल लाभ (**gross profit**) में घटाए जाते हैं एवं **profit & loss** खाते में प्रदर्शित किए जाते हैं। पुनः, ` 54,03,714/- के क्रेडिट नोट, बिक्री वापस के संबंध जारी किए गए हैं। अतः, उक्त बिक्री वापसी के कारण व्यापारी द्वारा व्यापार खाते में अंतिम रहतिया ` 13,86,60,136/- से बढ़कर ` 14,40,63,850/- (13,86,60,136 + 5403714) दर्शाया जाना चाहिए था, जो व्यापारी द्वारा नहीं किया गया था। व्यापारी द्वारा दाखिल की गई Statement of Profit and Loss में संगत वर्ष में कुल ` ₹39,11,29,891/- की बिक्री (Revenue from operations) घोषित करते हुए भी बैलेन्स शीट के नोट्स 2.10 (inventories) में अंतिम रहतिया ` 13,86,60,136/- ही घोषित किया गया है जो व्यापार खाते में प्रदर्शित अंतिम रहतिया के समान है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संगत वर्ष 2015-16 में व्यापारी द्वारा कुल बिक्री ` ₹39,11,29,891/- की घोषित की जानी चाहिए थी जो व्यापारी द्वारा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, उक्त कम प्रदर्शित बिक्री ₹ 71,37,849/- (₹39,11,29,891 - 38,39,92,02) पर बिक्री के अनुक्रम में 5% की दर से ₹ ` 3,56,892/- का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 3,56,892/- का अर्थदण्ड भी देय है।

अतः, आवर्त की मिथ्या विवरणी (बिक्री कम प्रदर्शित किया जाना) प्रस्तुत करने के कारण कर एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से ` 7,13,784/- (3,56,892 + 3,56,892) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 06 : आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 5.34 लाख।

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-8 अधिसूचना सं 478/2012/10(120)/XXVII(8)/2012 दिनांक 30 मई 2012 के अनुसार "समस्त प्रजाति के वृक्ष और सभी प्रकार की इमारती लकड़ी तथा काष्ठ चाहे वह उगाई, काटी और चीरी गयी हो किन्तु इसमें उनके उत्पाद और जालौनी लकड़ी सम्मिलित नहीं है" को दिनांक 30 मई 2012 से उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची III में शामिल किया गया है एवं कर देयता, निर्माण एवं आयात के बिन्दु पर 15% की दर से निर्धारित की गई है।

पुनः, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xi) के अनुसार यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो वह व्यौहारी अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार रुपए या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) - 3, राज्य कर, रुड़की की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि सर्वश्री औरो सुंदरम प्लाई एंड डोर प्रा. लि. भगवानपुर, टिन: 05005683643, द्वारा (कर निर्धारण वर्ष 2015-16) प्रांत अंदर से ₹97,96,988/- की टिंबर पोपुलर, टिंबर सफेदा एवं प्लैक्स पोपुलर की खरीद फार्म 11 से की गई जिस पर 3% की दर से ₹2,93,909/- आई टी सी क्लैम किया गया, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिंबर पोपुलर एवं टिंबर सफेदा की खरीद ₹53,46,646/-पर ₹1,60,399/-का आई टी सी रिवर्स किया गया किन्तु प्लैक्स पोपुलर की ₹44,50,342/-की खरीद पर ₹1,33,510/-का आई टी सी रिवर्स नहीं किया गया, चूंकि उपरोक्त वस्तु(प्लैक्स पोपुलर) भी अनुसूची III से आच्छादित है, इसलिए उपरोक्त वस्तु पर आई टी सी देय नहीं है। अतः ₹1,33,510/- का आई टी सी रिवर्स करते हुए राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार गलत दावा की गई ITC की उक्त राशि का तीन गुना अर्थात् ₹4,00,530/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संप्रेक्षा दल द्वारा लगाई गई आपत्ति से संबन्धित खरीद टिंबर की खरीद नहीं है, अपितु पोपुलर के लकड़ी से

चिरान कर फन्टी बनाई जाती है जिसका प्लाई बनाने में उपयोग किया जात है। विक्रेता व्यापारियों से उक्त पोपुलर की फन्टी का क्रय करके क्रेता फार्म द्वारा प्लाई बनाने में उपयोग किया जाता है, अतः आपति निक्षेप योग्य है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए खरीद बिलों से स्पष्ट है कि खरीद की गई वस्तु यू0के0लि0 स्लीपर चिरान (फन्टी) है जो चिरी/काटी हुई लकड़ी की श्रेणी में आता है न कि लकड़ी से बने उत्पाद के श्रेणी में। अतः, उक्त व्यापारी द्वारा खरीदी गई वस्तु अधिनियम की अनुसूची III के क्रम संख्या 9 से आच्छादित है, इसलिए उपरोक्त वस्तु पर आई टी सी देय नहीं है।

इस प्रकार, ` 1,33,510/- का आई टी सी रिवर्स करते हुए राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार गलत दावा की गई ITC की उक्त राशि का तीन गुना अर्थात ₹4,00,530/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

अतः, आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण ` 5.34 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-62/2017-18	01		-
CT-35/2018-19	-	01	-
CT-105/2019-20	-	02,04,05	-
कार्यालय उपायुक्त(कर निर्धारण)-4, राज्य कर, रुड़की			
CT-115/2017-18	01	01,02	-
CT-99/2018-19	01	01	-
CT-63/2019-20	01	01	-

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -तृतीय, राज्य कर, रुड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला	उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV